हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 65

बुधवार, 19 मार्च, 2025/28 फाल्गुन, 1946(शक्)

<u>सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख</u>

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने जैसे ही प्रश्न काल आरंभ करने की घोषणा की, नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देते हुए अपनी बात रखने हेतु पीठ से अनुमति चाही, जिस पर माननीय अध्यक्ष ने उन्हें प्रश्न काल के उपरान्त अपनी बात रखने के लिए कहा।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्नः 2189 (स्थगित) पर सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया। तारांकित प्रश्नः 2576 से 2580 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों/मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 2581 से 2635 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 783(स्थगित) तथा 1146 से 1165 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय मुख्य मंत्री ने श्री विमल नेगी, पुत्र श्री रामयोधा नेगी, निवासी कटगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर जोकि HPPCL में मुख्य अभियन्ता के पद पर कार्यरत थे, की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए वक्तव्य दिया।

श्री जय राम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष ने श्री विमल नेगी, मुख्य अभियन्ता की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर इसकी तह तक जाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों को पंजाब में तलवारों की नोक पर रोके जाने बारे भी विषय उठाया तथा चाहा कि इस संबंध में पंजाब के मुख्य मंत्री से बातचीत की जाए।

उप-मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय उप-मुख्य मंत्री ने बीते दिनों हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों को पंजाब में निशाना बनाये जाने से संबंधित विस्तृत वक्तव्य दिया।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उप-मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

(i) नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक (डी. पी. सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (ए) एवं आर0टी0डी0सी0 के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की धारा 61 के अन्तर्गत रोपवेज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डवलपमेंट कॉरपोरेशन एच.पी. लिमिटेड (आर0टी0डी0सी0) का वार्षिक वित्तीय विवरण, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित);

(ii) सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33 (4) के अन्तर्गत हिमाचल पथ परिवहन निगम का 50वां वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24; और

(iii) कला संस्कृति भाषा अकादमी के संविधान की धारा-21 के अन्तर्गत हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी, शिमला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24.

(2) **श्री चन्द्र कुमार, कृषि मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, मुख्य पशु औषधियोजक, ग्रुप-बी (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्याः एएचवाई-ए (3)3/2023, दिनांक द्वारा 24.12.2024 अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 01.01.2025 को प्रकाशित; और

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य विपणन बोर्ड (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 48(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, शिमला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं तुलन-पत्र, वित्तीय वर्ष 2023-24.

(3) **श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा 15 की उप-धारा (1) और (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं लेखा कथन प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(4) **श्री राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम योजना मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

(i) बोर्ड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला स्थित दाड़ी का वार्षिक लेखा तथा Balance Sheet, वित्तीय वर्ष 2023-24; और

(iii) हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2014 की धारा-41 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर का वार्षिक लेखे (संपरीक्षा रिपोर्ट सहित), वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 (विलम्ब के कारण सहित)।

3. नियम-343 के अन्तर्गत दिए गए परामर्श/राय को प्रकट करने सम्बन्धी दस्तावेज़ सभा पटल पर

श्री जगत सिंह नेगी, माननीय राजस्व मन्त्री ने दिनांक 28.08.2024 को सदन में नियम-130 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा, द्वारा चर्चा के दौरान लगाए गए आरोप "**विशेष राहत पैकेज के वितरण**" में हुई अनियमिताओं पर की गई जांच रिपोर्ट की प्रति सभा पटल पर रखी।

4. सदन की समिति के प्रतिवेदन

(1) **श्री राकेश कालिया, सभापति, प्राक्कलन समिति** (वर्ष 2024-25) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(1) समिति का सप्तम् कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 16वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (2020-21) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विभाग द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है;

(2) समिति का अष्टम् कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 22वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (2021-22) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विभाग द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा परिवहन विभाग से सम्बन्धित है; और

(3) समिति का नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 11वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विभाग द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है।

(2) **श्री किशोरी लाल, सभापति, लोक उपक्रम समिति** (वर्ष 2024-25) ने समिति का 19वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2018-19) 31 मार्च, 2019 के ऑडिट पैरा संख्याः 4.29 की समीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

5. वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए बजट अनुमान - सामान्य चर्चा

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री चन्द्र कुमार, कृषि मन्त्री
2. श्री रणधीर शर्मा

(**01.25 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.25 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।**)

(**भोजनावकाश के उपरान्त 02.30 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।**)

आगे चर्चा जारी -

3. श्री नीरज नैय्यर

(**02.35 बजे अपराह्न श्री आशीष बुटेल सभापति पदासीन हुए।**)

4. श्री सुधीर शर्मा
5. श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मंत्री

(**03.10 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।**)

माननीय मंत्री द्वारा चर्चा के दौरान विषयांतर चर्चा करने पर नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति दर्ज़ की। अतः अध्यक्ष महोदय ने ऐसे शब्दों को कार्यवाही से निकालने के आदेश दिए।

6. श्री बलबीर सिंह वर्मा

(**3.50 बजे अपराह्न उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।**)

7. श्री मोहन लाल ब्राक्टा
8. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल

माननीय सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान अपने चुनाव क्षेत्र में बस रूट्स व भोटा बस अड्डे के बारे में ज़िक्र करने पर माननीय उप-मुख्य मंत्री ने कहा कि माननीय सदस्य के चुनाव क्षेत्र में 65 रूट्स में से 64 रूट्स पर बसें चल रही हैं और भोटा बस अड्डे को बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

(**04.30 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।**)

9.   श्री सुरेश कुमार

(05.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक का समय 06.00 बजे अपराह्न तक बढ़ाया गया।)

(05.01 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न सभापति पदासीन हुए।)

10. श्री जीत राम कटवाल

11. श्री मलेन्द्र राजन

(06.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक का समय 06.30 बजे अपराह्न तक बढ़ाया गया।)

12. श्री प्रकाश राणा

06.30 बजे सायं सदन की बैठक वीरवार, 20 मार्च, 2025 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।